



राजस्थान सरकार

कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर

विमान भवन, गोपालबाड़ी, जयपुर-302001 दूरभाष नं. 0141-2373904 ईमेल-scr-rj@nic.in

क्रमांक/फा/संस्था/सामान्य/महिला उत्पीड़न/10/भूप्रआ/2025/ दिनांक:-

**कार्यालय आदेश**

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की पालना में भू-प्रबन्ध विभाग में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु पूर्व में गठित आन्तरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	पद
1	श्रीमती प्रियंका कुमारी थोरी (आर. टी.एस.)	सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी	अध्यक्ष(नोडल अधिकारी)
2	श्रीमती शैलजा शेखावत (आर. टी.एस.)	सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी	सदस्य
3	श्री सन्तोष कुमार बनशिया	प्रशासनिक अधिकारी	सदस्य
4	श्रीमती हेमलता शर्मा	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	सदस्य
5	श्री दिनेश यादव	अति. प्रशासनिक अधिकारी	सदस्य
6	श्रीमती गीता मीना	सहायक लेखाधिकारी	सदस्य
7	श्रीमती निशा सिद्धू	गैर सरकारी संगठन की प्रतिनिधि	सदस्य

1. अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल का निर्धारण नियुक्ति की तिथि से अधिकतम 3 वर्ष तक का होगा।
2. स्वयं सेवी संगठनों में से नामित सदस्य को आंतरिक समिति कार्यवाही के आयोजन के लिए मानदेय/भत्ते तथा यात्रा पर उसके द्वारा खर्च की गयी राशि का भुगतान महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अनुसार देय होंगे।
3. अध्यक्ष एवं मनोनीत सदस्यों को अधिनियम की धारा 16 के विरुद्ध एवं अन्यथा जैसा अधिनियम की धारा 4(5) में प्रदत्त है, कार्य करने पर पदच्युत किया जा सकेगा एवं इसके फलस्वरूप उत्पन्न रिक्ति अधिनियम के अंतर्गत नवीन नियुक्तियों से भरा जायेगा।

(हिमन्त स्वरूप माथुर)

अति. भू-प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान  
जयपुर।

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग शासन सचिवालय।
3. निजी सचिव, भू-प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, अति. भू-प्रबन्ध आयुक्त, जयपुर।
5. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी.....।
6. श्रीमती निशा सिद्धू, राजस्थान प्रगतिशील महिला फंडरेशन, स्वामी कुमारानन्द स्मारक भवन हथरोई, जयपुर।
7. समस्त भू-प्रबन्ध अधिकारियों को भेजकर लेख है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की पालना में गठित आन्तरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन कर सूचित करें।
8. प्रोग्रामर, भू-प्रबन्ध विभाग, मुख्यावास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified

Digitally Signed by Hemant  
Swaroop Mathur  
Designation : Additional  
Commissioner  
Date :22-01-2025 02:34:06